संख्या-02/2024/ 642/90-सं0शि0प0का0/2024-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक- 25 जून, 2024**

विषय- प्रदेश मुख्यालय/ जिला स्तर पर विभिन्न आयोजनों/ बैठकों में माननीय जनप्रतिनिधियों/ अधिकारियों के बैठने हेतु स्थान निर्धारित किये जाने तथा सरकारी कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किये जाने व इससे संबंधित विज्ञापनों एवं शिलापट्टों पर नाम अंकित किये जाने संबंधी शासनादेश दिनांक-05 जनवरी, 2024 के अनुलग्नक-1 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश मुख्यालय/ जिला स्तर पर आयोजित बैठकों/ आयोजनों में माननीय जनप्रतिनिधियों (माननीय सांसद एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण) के बैठने के स्थान, सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित किये जाने तथा तत्सम्बन्धी विज्ञापनों एवं शिलापट्टों पर उनका नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने विषयक संसदीय शिष्टाचार/ पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-01/2024/25/90-सं0शि0प0का0/2024-02 (सं0शि0)/2015 दिनांक-05 जनवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संदर्भगत शासनादेश दिनांक 05-01-2024 के अनुलग्नक-01 के क्रमांक-24 पर इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान परिषद का नोडल जनपद-हरदोई उल्लिखित है, जबकि ग्राम्य विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-वी0आईपी0-48/अड़तीस-9-2023, दिनांक-10-05-2023 के द्वारा इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान परिषद को विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के उपयोग हेतु नोडल जनपद हरदोई के स्थान पर नोडल जनपद-लखनऊ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. अतएव उक्त वर्णित स्थिति में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-01/2024/25/90-सं0शि0प0का0/2024-02(सं0शि0)/ 2015 दिनांक-05 जनवरी, 2024 के अनुलग्नक-01 के क्रमांक-24 पर उल्लिखित नोडल जनपद-हरदोई के स्थान पर नोडल जनपद-लखनऊ पढ़ा जाय।

शासनादेश दिनांक 05-01-2024 के अनुलग्नक-01 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव।

कृ0पृ0-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 02 /2024/642(1)/90-सं0शि0प0का0/2024 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निजी सचिव, माननीय सभापति, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।

2- इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान परिषद।

3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह-II

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।